

25.07.2025:—पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

hán
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़